डीजी परिपत्र सं0-46/2024

प्रशान्त कुमार, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

विषयः प्रदेश के कमिश्नरेटों / जनपदों में गिरोहों का पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदया / महोदय,

आप सभी अवगत है कि प्रदेश में सक्रिय गिरोहों को सूचीबद्ध कराने, उनसे सम्बन्धित अभिलेखों को अद्यावधिक रखने एवं उनके विरूद्ध समय-समय पर प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर मुख्यालय स्तर से आवश्यक दिशा- निर्देश निर्गत किये गये हैं, जो पार्श्वांकित हैं।

1- डीजी परिषत्र सं0-40/2018 दिनांक 21-07-18
2-डीजी परिषत्र सं0-07/1995 दिनांक 06-02-1995
3-डीओ नं0-सीओपी / एबीडीएस (एसओ-01)/जी-04/70 दि0-27-08-79

2. आप सहमत होंगे कि प्रदेश के कमिश्नरेट/ जनपदों में अन्य तरह के बहुत से गैंग दूसरे प्रकार के अपराध लूट, डकैती, भाड़े की हत्या, फिरौती के लिये अपहरण, जाली नोटों की तस्करी, चैन स्नैचिंग, वाहन चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब की तस्करी, साइबर अपराध, अवैध शस्त्र निर्माण, मूर्ति चोरी व वन्यजीव तस्करी, भूमाफिया एवं संगठित अपराध आदि करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में गिरोहों का अभिलेखीकरण आदि की कार्यवाही पूर्व से प्रचलित है। अतएव यह आवश्यक है कि इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों की सक्रियता के आधार पर गिरोहों का पंजीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

3. विषयांकित प्रकरण में प्रदेश में ऐसे सक्रिय गिरोहों का अपराधों के अनुसार इन्हें कमिश्नरेट, जनपदीय, अन्तर जनपदीय, अन्तर परिक्षेत्रीय एवं अन्तर्राज्जीय श्रेणी में विभक्त कर सूचीबद्ध किये जाने की कार्यवाही निम्नवत् होगी-

➤ डी गैंग (डिस्ट्रिक्ट गैंग / कमिश्नरेट)-

- ऐसा आपराधिक गिरोह, जिनके सदस्य एक ही कमिश्नरेट / जनपद में अपराध कारित करते हैं।
- ऐसे गिरोहों द्वारा कारित अपराधों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कराकर सम्बन्धित कमिश्नरेट / जनपद के सहायक पुलिस उपायुक्त / अपर पुलिस उपायुक्त / पुलिस उपाधीक्षक / अपर पुलिस अधीक्षक की आख्या एवं संस्तुति के उपरान्त पुलिस उपायुक्त अपराध / जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें 'डी' श्रेणी में रखकर सूचीबद्ध किया जाय और इस गैंग को कमिश्नरेट / जनपद में क्रम संख्या (जैसे डी-01 व डी-02 इसी क्रम में) अन्य को क्रमानुसार अंकित करेंगे।

- ऐसे आपराधिक गिरोहों के अभिलेखीकरण करते हुये उनका समस्त रख-रखाव कमिश्नरेट / जनपद में स्थापित डीसीआरवी शाखा द्वारा किया जायेगा।

➢ **आई०डी० गैंग (इन्टर डिस्ट्रिक्ट गैंग / कमिश्नरेट)-**

- ऐसा आपराधिक गिरोह, जिनके सदस्य एक ही परिक्षेत्र के विभिन्न जनपदों के निवासी हों अथवा एक ही परिक्षेत्र सीमा के अन्तर्गत एक से अधिक जनपदों में अपराध कारित करते हैं अथवा वह कोई सदस्य किसी कमिश्नरेट के अन्तर्गत पडने वाले क्षेत्र का निवासी हो अथवा उक्त कमिश्नरेट में अपराध कारित किया हो।

- ऐसे गैंग के गैंग लीडर द्वारा जिस कमिश्नरेट / जनपद में अपराध कारित किया जाता है तो उसे संबंधित परिक्षेत्रीय प्रभारी / संयुक्त / अपर पुलिस आयुक्त द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया जायेगा:-

अ- यदि गैंग लीडर द्वारा किसी कमिश्नरेट में प्रमुख अपराध कारित किया गया है तो संबंधित कमिश्नरेट के सहायक पुलिस आयुक्त की आख्या के आधार पर संबंधित पुलिस उपायुक्त की संस्तुति के उपरान्त संयुक्त पुलिस आयुक्त / अपर पुलिस आयुक्त, मुख्यालय एवं अपराध द्वारा आई0डी0 गैंग का पंजीकरण किया जायेगा तथा पंजीकृत गैंग की सूचना संबंधित परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को अभिलेखार्थ प्रेषित की जायेगी। इस गैंग को क्रम संख्या (जैसे आईडी-01 व आईडी-02 इसी क्रम में) अन्य को क्रमानुसार अंकित करेंगे।

ब- यदि गैंग के गैंग लीडर द्वारा परिक्षेत्र के अन्तर्गत किसी जनपद में प्रमुख अपराध कारित किया जाता है तो संबंधित पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के उपरान्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक द्वारा गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा पंजीकृत गैंग / समूह की सूचना संबंधित कमिश्नरेट को अभिलेखार्थ प्रेषित की जायेगी।

- ऐसे आपराधिक गिरोहों के अभिलेखीकरण का रख-रखाव पंजीकरण कराने वाले कमिश्नरेट / जनपद के डीसीआरबी शाखा द्वारा किया जायेगा एवं पंजीकरण की एक-एक प्रति कमिश्नरेट कार्यालय / परिक्षेत्रीय मुख्यालय जहां पर गैंग सूचीबद्ध हुआ है, पर रखा जायेगा।

➢ **आई०आर० गैंग (इन्टर रेंज गैंग)-**

ऐसा अपराधिक गिरोह जिनके सदस्य एक से अधिक परिक्षेत्र के जनपदों के निवासी हों अथवा एक से अधिक परिक्षेत्र के जनपदों में अपराध कारित करते हों अथवा गैंग का कोई सदस्य किसी कमिश्नरेट के अन्तर्गत पडने वाले क्षेत्र का निवासी हो अथवा उस कमिश्नरेट में अपराध कारित किया हो, ऐसे गैंग के गैंगलीडर द्वारा जिस कमिश्नरेट / जनपद में अपराध कारित किया जाता है तो उसे संबंधित संयुक्त / अपर पुलिस आयुक्त / परिक्षेत्रीय प्रभारी द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया जायेगा:-

अ- यदि गैंग लीडर द्वारा किसी कमिश्नरेट में प्रमुख अपराध कारित किया गया है तो उक्त कमिश्नरेट के संबंधित पुलिस उपायुक्त की आख्या एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त / अपर पुलिस आयुक्त, मुख्यालय एवं अपराध की संस्तुति के आधार पर पुलिस आयुक्त द्वारा आई0आर0 गैंग का पंजीकरण किया जायेगा तथा पंजीकृत गैंग की सूचना संबंधित कमिश्नरेट / परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को अभिलेखार्थ प्रेषित की जायेगी।

ब- ऐसे गैंग के गैंग लीडर द्वारा जिस परिक्षेत्र में प्रमुख अपराध किया जाता है तो उस परिक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर आई०आर० गैंग का पंजीकरण परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक की संस्तुति पर जोनल अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा। इस गैंग को इन्टर रेंज क्रम संख्या (जैसे आईआर-01 व आईआर-02 इसी क्रम में) अन्य को क्रमानुसार अंकित करेंगे तथा उसकी सूचना संबंधित जनपद / परिक्षेत्र में प्रेषित की जायेगी।

ऐसे गैंगों के अभिलेखों का रख-रखाव पंजीकरण कराने वाले जनपद के डीसीआरबी शाखा द्वारा किया जायेगा एवं पंजीकरण की एक-एक प्रति कमिश्नरेट कार्यालय / परिक्षेत्रीय / जोनल कार्यालय में रखा जायेगा।

➢ **आई०एस० गैंग (इन्टर स्टेट गैंग)-**

- ऐसे आपराधिक गिरोह जिनके सदस्य एक से अधिक राज्यों के निवासी हों अथवा एक से अधिक राज्यों में संगठित रूप से अपराध कारित करते हों।
- ऐसे गैंग के गैंग लीडर एवं समूह द्वारा प्रदेश के जिस जनपद / कमिश्नरेट में अपराध किया जाता है, उस जनपद / कमिश्नरेट के जनपदीय प्रभारी / ज़ोनल पुलिस उपायुक्त की आख्या के आधार पर आई०एस० गैंग का पंजीकरण परिक्षेत्रीय प्रभारी / संयुक्त पुलिस आयुक्त / अपर पुलिस आयुक्त की संस्तुति पर सम्बन्धित जोनल अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस आयुक्त द्वारा अपनी संस्तुति सहित पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जायेगा। पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त श्रेणी में गैंग का पंजीकरण करायेंगे।
- ऐसे गैंगों के अभिलेखों का रख-रखाव पंजीकरण कराने वाले कमिश्नरेट की डीसीआरबी शाखा द्वारा किया जायेगा तथा गैंग पंजीकरण के उपरान्त एक प्रति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश एवं एक-एक प्रति सम्बन्धित जोनल / परिक्षेत्रीय / कमिश्नरेट कार्यालय में रखी जायेगी।

4. कमिश्नरेटों / जनपदों में आई०एस० गैंग पंजीकरण से सम्बन्धित जो भी प्रकरण अभी तक लम्बित हैं, जिनका पंजीकरण नहीं किया गया है, उन सक्रिय गिरोहों का पंजीकरण हेतु संलग्न प्रारूप में सूचना / आख्या तैयार कराकर अपनी संस्तुति सहित समस्त सूचनायें पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे। ताकि तत्परता से उनका आई०एस० गैंग में पंजीकरण कराया जा सके।

5. पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट से प्राप्त ऐसे सक्रिय गिरोहों के अपराधियों का जिन्हें आई०एस० गैंग में सूचीबद्ध किया जाना है, उन्हें सूचीबद्ध करते हुये सम्बन्धित पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट / अपर पुलिस महानिदेशक को सूचीबद्धता की संख्या से अवगत करायेंगे तथा डी गैंग, आई०डी० गैंग, आई०आर० गैंग व आई०एस० गैंग की अद्यावधिक सूची का अभिलेखीकरण अपने निकट पर्यवेक्षण में करायेंगे, ताकि अल्प अवधि में सूचना मांगे जाने की स्थिति में गैंगों से सम्बन्धित अद्यावधिक सूचना इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जा सके।

6. सूचीबद्ध किये जा रहे गिरोहों से सम्बन्धित समस्त सूचनायें प्रत्येक स्तर पर संलग्न किये जा रहे निर्धारित प्रारूपों के समस्त बिन्दुओं में गैंग नोट बनाकर रखा जायेगा। इन सूचनाओं को निरन्तर निरीक्षण करते हुये अद्यावधिक की जायेगी। किसी भी स्तर पर इस कार्यवाही में शिथिलता नहीं बरती जायेगी। ऐसे गिरोहों द्वारा जो विगत 3-4 वर्षों में कोई अपराध कारित नहीं किये गये हैं । पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट / जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा समीक्षा कर यह आश्वस्त कर लिया जाय कि यह गिरोह वास्तव में निष्क्रिय हो गया है। तो ऐसे गिरोहों का पंजीकरण सूची से विरक्त कराये जाने की कार्यवाही की जाये।

7. पंजीकृत ऐसे गिरोहों के मुखिया, जिनकी मृत्यु हो गयी हो अथवा मारे गये हों. के स्थान पर गिरोह का अत्यन्त सक्रिय सदस्य को मुखिया के रूप में पंजीकृत सूची में नामित कराते हुये, उस पर सतत निगरानी रखी जायेगी और उसकी सूचना सभी सम्बन्धित को दी जायेगी।

8. गिरोह पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यवाही की जायेगी:-

- प्रत्येक कमिश्नरेट / जनपद स्तर पर समीक्षा कर ली जाय कि क्या पूर्व में पजीकृत सभी गिरोहों का सही पंजीकरण हुआ है व सही गैंग नम्बर पड़ा है ? ताकि भविष्य में कार्यवाही करते समय कोई कठिनाई न हो।
- कमिश्नरेट / जनपद स्तर पर जो आई०एस० गैंग से सम्बन्धित सूचीबद्धता हेतु जो प्रकरण अभी लम्बित हैं, उन्हें पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश को अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रत्येक तीन माह में सर्वसम्बन्धित कमिश्नरेट / जनपद अपने कमिश्नरेट / जनपद में पंजीकृत गैंगों की अद्यतन स्थिति की आख्या पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे।
- पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश प्रदेश में पंजीकृत सभी प्रकार के गिरोहों की अद्यतन स्थिति की सूचना को 30 दिवस के अन्दर अभिलेखीकरण कर इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. मैं चाहूँगा कि गिरोहों के पंजीकरण हेतु संलग्न किये जा रहे प्रारूप में आख्या बिन्दुवार तैयार कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को संस्तुति प्रेषित कर गिरोहों का पंजीकरण करायेंगे एवं पंजीकृत कराये गये गिरोहों के मुखिया एवं उनके सदस्यों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुये निगरानी कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

16.11.2

(प्रशान्त कुमार)

समस्त पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।